

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

04 अगस्त, 2023 ई0

संख्या I/144110/VIII-1/23-70(श्रम)/2001-II-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र सं0-4011/UHC/XXX-f-1/Admin.A/2010, दिनांक 27.07.2023 में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तों) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती का स्थल
1	श्री शमशेर अली, अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 02-09-2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 श्रम/422-13-10-2023-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।